

नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय, सुपेला भिलाई



शाखा प्रभारी – श्री एन आर रत्नेश सहायक अभियंता - श्री अनिल सिंह





राजस्व/सम्पदा विभाग में 32 अधिकारी/कर्मचारी, 01 दैनिक वृत्ति एवं 116 निविदा सुरक्षा अधिकारी एवं सुरक्षा गार्ड कार्यरत है |



राजस्व/सम्पदा नस्ती संधारण कार्य किया जाता है जिसकी संख्या 06 है।



राजस्व/सम्पदा विभाग में व्यावसायिक भूखंड कुल 70 योजना जिसमे कुल 3789 आबंटित है ।



राजस्व विभाग

नगर पालिक निगम भिलाई



राजस्व/सम्पदा विभाग में आवास सह व्यवसाय हेतु कुल 27 योजना कार्य सम्पादित किया जाता है





राजस्व/सम्पदा विभाग में अन्य विभिन्न योजनाओ जिसमे चबूतरा,गुमटी, सायकल स्टैंड, तालाब, स्लाटर हाउस एवं बाज़ार का कार्य प्रचलित में है जिसमे आबंटीतियो की संख्या 1208 है।



विभिन्न संधारण जैसे नामान्तरण, हस्तानान्तरण के लिए प्रकाशन शुल्क 1000 रुपये एवं जीएसटी शुल्क 18 प्रतिशत 180 रुपये कुल 1180 रुपये निर्धारित है ।



राजस्व/सम्पदा से सम्बंधित 13 योजना कार्य सम्पादित किया जाता है





लीज नवीनीकरण हस्तांतरण, नामान्तरण फ्री होल्ड की कार्यवाही के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के साथ काबिजी एवं, बैंक बंधक शपथ पत्र के साथ वित्तीय वर्ष की संपत्तिकर, भू भाटक की छायाप्रति, भवन/भूखंड का फोटोग्राफ, लीज़डीड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, भवन अनुज्ञा, भवन पूर्णता के साथ जमा कराया जाता है



व्यावसायिक भवन/दुकान में गुमास्ता, अनुज्ञप्ति लायसेंस की छायाप्रति संलग्न कराया जाता है।





हस्तानान्तरण नामान्तरण प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों का बयान एवं मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत कराया जाता है।





आवास/आवास सह व्यावसायिक/व्यवसाय योजना की भूमि जिसे आवेदक को आबंटित किये गए अगर रिक्त है तो महापौर परिषद् से पारित संकल्प अनुसार पंजीयन के 02 वर्ष छुट के पश्चात् लीज़डीड की कंडिका अनुसार भवन छतिपूर्ति आवास पर 5 रुपये आवास सह व्यवसाय में 10 रुपये व्यवसाय में 20 रुपये प्रति वर्गफुट लिया जा रहा है|





आवास/आवास सह व्यावसायिक/व्यवसाय योजना की भूमि जिसपर निर्मित प्रथम तल एवं अन्य तल पर प्रब्याजी की राशी 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिया जा रहा है तथा जिसकी भू भाटक राशी क्रमशः 2 रुपये, 3 रुपये तथा 5 रुपये निर्धारित किया गया है।





धन्यवाद्